



2026:AHC:36464

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 5489/2026

संतराम एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: दया शंकर पांडे

विपक्षी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यू.पी. जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 333 के तहत शुरू की गई कार्यवाही, जो वाद संख्या आरईवी81/2022/गाजियाबाद (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या एमई202211280081) के रूप में पंजीकृत थी, उक्त वाद में राजस्व परिषद (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू), सर्किट कोर्ट, मेरठ के न्यायिक सदस्य द्वारा दिनांक 12.08.2025 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें उप-जिला मजिस्ट्रेट/जाँच अधिकारी को मामले का नए सिरे से निर्णय करने का निर्देश दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित प्राधिकारी को राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट, मेरठ के न्यायिक सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12.08.2025 के अनुपालन में, कानून के अनुसार सख्ती से मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 18, 2026

सकलेन

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”